न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/27/2025	2025/3	08.01.2025	26.03.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०। —प्रार्थी

बनाम

1. गोरधन पुत्र रामबक्श जाति चमार निवासी ककराली तहसील व जिला अलवर।
2. नन्नी पत्नी मुनीम जाति चमार निवासी ककराली तह० व जिला अलवर।
3. पप्पू पुत्र मुनीम जाति चमार निवासी ककराली तह० व जिला अलवर।
4. बीना पुत्री मुनीम जाति चमार निवासी ककराली तह० व जिला अलवर।
5. बाबूलाल पुत्र मुनीम जाति चमार निवासी ककराली तह० व जिला अलवर।
6. सीताराम पुत्र मुनीम जाति चमार निवासी ककराली तह० व जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम ककराली तहसील अलवर की आराजी खसरा न0 1142 रकबा 0.04 है0, 1143 रकबा 0.07 है0, 1144 रकबा 0.04 है0, 1145 रकबा 0.12 है0, 1309 रकबा 0.16 है0, 1310 रकबा 0.18 है0, 1312/1691 रकबा 0.04 है0, 1321 रकबा 0.05 है0, 357 रकबा 0.12 है0, 358 रकबा 0.05 है0, 359 रकबा 0.04 है0 कुल किता 11 रकबा 0.91 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 1142 रकबा 0.04 है0, 1143 रकबा 0.07 है0, 1144 रकबा 0.04 है0, 1145 रकबा 0.12 है0, 1309 रकबा 0.16 है0, 1310 रकबा 0.18 है0, 1312/1691 रकबा 0.04 है0, 1321 रकबा 0.05 है0, 357 रकबा 0.12 है0, 358 रकबा 0.05 है0, 359 रकबा 0.04 है0 कुल किता 11 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम ककराली तहसील व जिला अलवर 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ककराली की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है की कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। तथा ना मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज. कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खसरा न0 1142 रकबा 0.04 है0, 1143 रकबा 0.07 है0, 1144 रकबा 0.04 है0, 1145 रकबा 0.12 है0, 1309 रकबा 0.16 है0, 1310 रकबा 0.18 है0, 1312/1691 रकबा 0.04 है0, 1321 रकबा 0.05 है0, 357 रकबा 0.12 है0, 358 रकबा 0.05 है0, 359 रकबा 0.04 है0 कुल किता 11 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम ककराली तहसील अलवर जिला अलवर किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया गया है कि विवादित आवंटित उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटित कर दी गई। आराजी खसरा न0 1142 रकबा 0.04 है0, 1143 रकबा 0.07 है0, 1144 रकबा 0.04 है0, 1145 रकबा 0.12 है0, 1309 रकबा 0.16 है0, 1310 रकबा 0.18 है0, 1312/1691 रकबा 0.04 है0, 1321 रकबा 0.05 है0, 357 रकबा 0.12 है0, 358 रकबा 0.05 है0, 359 रकबा 0.04 है0 कुल किता 11 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम ककराली तहसील व जिला अलवर अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का ककराली की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदारान का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है। मौके पर खसरा नंबर 1142, 1143, 1312/1691, 1321 में मौके पर सड़क बनी हुई है। खसरा नंबर 1144 एवं 1145 में अन्य लोगों के मकानात बने हुए है। शेष खसरा नंबरान पर ग्रामवासियों द्वारा अन्य दीगर व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य होना बताया है। रिकॉर्ड में गैर खातेदारान का पिछले 30 वर्षो से कब्जा नहीं पाया गया है। वर्तमान में उक्त खसरा नंबरों पर ग्रामवासियों का कब्जा है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का ककराली की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदारान का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उपस्थित लोगों ने बताया कि उक्त आराजी पर मौके पर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा चला आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा न0 1142 रकबा 0.04 है0, 1143 रकबा 0.07 है0, 1144 रकबा 0.04 है0, 1145 रकबा 0.12 है0, 1309 रकबा 0.16 है0, 1310 रकबा 0.18 है0, 1312/1691 रकबा 0.04 है0, 1321 रकबा 0.05 है0, 357 रकबा 0.12 है0, 358 रकबा 0.05 है0, 359 रकबा 0.04 है0 कुल किता 11 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम ककराली जिला अलवर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)